न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 145/2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. देवीसहाय पुत्र रामजीलाल
2. बलवंत पुत्र देवीसहाय
3.राकेश पुत्र देवीसहाय
समस्त जाति मीना निवासी मण्डावर तहसील महवा हाल मण्डावर जिला दौसा।

... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार मण्डावर दिनांक 08.02.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम देवीसहाय वगै0 मु0नं0 50/2017 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956।

उपस्थित : 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 04.11.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तत्कालीन उप तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा ने दिनांक 08.02.2018 को ग्राम मण्डावर उप तहसील मण्डावर के खसरा नं0 658 रकबा 13090 वर्गफीट किस्म गैर मुमकिन पहाड. पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए पेनल्टी, बेदखली, वसूली एवं फसल जब्ती, नीलामी का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत तामील करवाये बिना व सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिये बिना विधिविरूद्ध तरीके से दिनांक 08. 02.2018 को अपीलांट को उक्त प्रश्नगत भूमि से बेदखली व 27 रूपये की पेनल्टी से दण्डित कर दिया तथा बेदखली, वसूली व फसल जब्ती हेतु गिरदावर पटवारी हल्का को लिखा जाने का आदेश दे दिया। अपीलांट ने गैर मुमकिन पहाड. की किसी भी भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है। पटवारी हल्का ने अपीलांट के खिलाफ झूठी रिपोर्ट पेश की है। अपीलांट 1000 वर्गगज भूमि पर काबिज है। जिसका अपीलांट के नाम विधिवत सरकार

के द्वारा जारी किया हुआ पट्टा है। अनेकों बार निवेदन करने व श्रीमान के द्वारा पट्टेशुदा भूमि का रिकार्ड मे अमल करने के आदेश देने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पट्टेशुदा भूमि का रिकार्ड मे अमल नही किया और कानून के विपरित तरीके से बेदखली के आदेश पारित कर दिया। अतःअपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर उप तहसीलदार मण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.02.2018 को निरस्त फरमावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर अपीलांट्स को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट देवीसहाय अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट्स अतिक्रमी की श्रेणी में आते है। अपीलाट्स की ओर से कोई जबाव/दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत नहीं किये गये है। इसलिए अपीलाधीन आदेश किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाव/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। चूंकि अधिवक्ता अपीलाट्स द्वारा बहस के दौरान यह कथन किया है कि अपीलांट्स के पास प्रश्नगत भूमि का विधिवत जारी पट्टा है जिसका रिकार्ड में अमल नहीं किया गया है। उक्त तथ्य को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मण्डावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार मण्डावर को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर नियमानुसार जांचकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 04 नवम्बर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा